उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4
संख्या-15/2025/1096/तीस-4-2025
लखनऊः दिनांकः 18 सितम्बर, 2025

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

याचीगण श्री अजीत सिंह पुत्र श्री वीर बहादुर सिंह, निवासी- रामपुरा, जालौन, श्री धर्मेन्द्र सिंह पुत्र श्री छत्रपाल सिंह, निवासी-नया पटेल नगर, उरई, जालौन, श्रीमती महेश कुमारी पत्नी श्याम बाबू निवासी- 1649, पटेल नगर, उरई, जालौन, श्री सलीम पुत्र श्री फैज बक्श, निवासी- नया पटेल नगर, उरई, जालौन एवं श्री शमशुद्दीन पुत्र श्री अमीनुद्दीन निवासी- 101, सदनपुरी, उरई, जालौन द्वारा मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष सिविल मिस रिट याचिका 'ए' संख्या- 11808/2025 (अजीत सिंह व 04 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य 07) में योजित की गई है । उक्त रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19.08.2025 को सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया गया, जिसका क्रियात्मक अंश निम्नवत् है :-

> **"Accordingly, the present writ petition is disposed off with liberty to each petitioners to make a fresh representation ventilating all their grievances before respondent no.1-Principal Secretary, Transport Department, Civil Secretariat U.P. at Lucknow within a period of two weeks from today, along with a certified copy of this order. On such a representation being made by the petitioners, the respondent no.1 shall call for the records and shall pass a reasoned and speaking order strictly in accordance with law preferably within a period of two weeks after giving due notice and opportunity of hearing to respondent nos.7 & 8."**

2- मा० न्यायालय के उक्त आदेशानुक्रम में याची श्री अजीत सिंह पुत्र श्री बीर बहादुर सिंह, निवासी-रामपुरा, जालौन, उत्तर प्रदेश द्वारा अधोहस्ताक्षरी को संबोधित प्रत्यावेदन दिनांक 26.08.2025 प्रस्तुत किया गया है। श्री अजीत सिंह द्वारा उक्त प्रत्यावेदन के माध्यम से निम्नवत अवगत कराया गया है :-

"वे अराष्ट्रीकृत मार्ग नामतः ऊरई से जगम्मनपुर वाया जालौन, बंगरा पर विद्यमान परमिटधारक है तथा उपरोक्त मार्ग पर विगत कई वर्षों से अपने वाहन (बस) का विधिक परमिट के आधार पर कर आदि समय पर अदा करते हुए संचालन कर रहे है। उपरोक्त परमिट सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण झाँसी द्वारा स्वीकृत व जारी है। उपरोक्त मार्ग मात्र 66 कि०मी० का है। उरई से कोच मार्ग कामन है जिस पर लगभग परमिट 46 जारी है। उल्लेखनीय है कि श्री अरविन्द कुमार दुबे एवं श्री प्रीतम सिंह यादव प्रार्थी के उपरोक्त मार्ग के कुछ भाग पर आच्छादित करते हुये अपने वाहनों का संचालन कर रहे है एवं परमिटधारक है तथा उपरोक्त दोनो व्यक्ति जिला परिवहन समिति के प्राइवेट नामित सदस्य है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया गया है कि दोनो प्राइवेट नामित सदस्य याची श्री अजीत सिंह को किसी भी जिला परिवहन समिति की बैठक की न तो सूचना देते है न ही विचार विमर्श करते है एवं मनमाने ढंग से अपने चहेते लोगों को नवीन परमिट स्वीकृत कराते है एवं प्रार्थी के समय-सारणी के आगे समय सारणी जारी करा देते है। याची श्री अजीत सिंह एवं अन्य आच्छादित मार्ग के विद्यमान परमिट धारकों ने दोनो सदस्यों के पक्षपात एवं मनमाने कृत्य से पीड़ित होकर सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण झाँसी की मीटिंग मे दिनांक 22.04.2025 को उपस्थित होकर विरोध पत्र अध्यक्ष महोदय जी को प्रस्तुत किया। तत्पश्चात याची श्री अजीत सिंह एवं मार्ग के अन्य 4 विधिक विद्यमान परमिट धारकों ने दिनांक 27 मई 2025 एवं दिनांक 17.06.2025 को स्पीडपोस्ट द्वारा श्रीमान अध्यक्ष/मण्डल आयुक्त झाँसी, श्रीमान परिवहन आयुक्त लखनऊ, श्रीमती जिलाधिकारी,

जालौन, श्रीमान सम्भागीय परिवहन अधिकारी, झाँसी एवं सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन/प्रवर्तन ऊरई, जनपद जालौन को प्रत्यावेदन की प्रतिलिपि उपरोक्त के सम्बन्ध मे प्रेषित किया किन्तु कोई भी कार्यवाही न होने पर विवश होकर प्रार्थी तथा अन्य 4 विद्यमान विधिक परमिट धारकों ने माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद मे याचिका 'ए' संख्या-11808 सन् 2005 (अजीत कुमार आदि बनाम उ०प्र० राज्य तथा अन्य) योजित किया। उपरोक्त याचिका में श्री अरविन्द कुमार दुबे एवं श्री प्रीतम सिंह यादव को प्रतिपक्षी संख्या 7 एवं 8 बनाया।

उपरोक्त याचिका मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष दिनांक 19.08.2025 को सुनवाई हेतु सूचीबद्ध हुई। दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात मा० न्यायालय ने उपरोक्त याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया एवं निर्देशित किया कि प्रत्येक याचीगण एक नवीन प्रत्यावेदन जिसमे अपनी सारी समस्याओं एवं शिकायतों का उल्लेख करते हुए निर्णय के दिनांक से 02 सप्ताह के अंतर्गत दिनांक 19.08.2025 के आदेश की सत्यप्रति के साथ महोदय के समक्ष प्रस्तुत करेंगें तब महोदय जी अभिलेख मंगवाकर प्रार्थीगण के प्रत्यावेदन पर विधि अनुसार तार्किक एवं स्पीकिंग आर्डर एवं प्रतिपक्षी संख्या-7 एवं 8 को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए 02 सप्ताह के अन्दर पास करेंगें।

उपरोक्त के सम्बन्ध में यह भी अवगत कराया गया है कि मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 68(2) में यह प्राविधानित है कि "राज्य परिवहन प्राधिकरण या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण ऐसे एक अध्यक्ष से, जिसे न्यायिक अनुभव या अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी या न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के रूप में अनुभव प्राप्त है जो किसी विधि के अधीन कोई आदेश पारित करने में या विनिश्चय करने में सक्षम है तथा राज्य परिवहन प्राधिकरण की दशा में चार से अनधिक ऐसे अन्य व्यक्तियों से (चाहे वे शासकीय हों या न हों), तथा प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण की दशा में दो से अनधिक ऐसे अन्य व्यक्तियों से (चाहे वे शासकीय हों या न हों) जिन्हें राज्य सरकार नियुक्त करना ठीक समझे, मिलकर बनेगा किन्तु ऐसा कोई भी व्यक्ति, जिसका किसी परिवहन उपक्रम में, कोई वित्तीय हित, चाहे स्वत्वधारी कर्मचारी के रूप में या अन्यथा है, राज्य या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा, न ही बने रहने दिया जाएगा, और यदि कोई व्यक्ति, जो किसी ऐसे प्राधिकरण का सदस्य है, किसी परिवहन उपक्रम में कोई वित्तीय हित अर्जित कर लेता है, तो वह ऐसा हित अर्जित कर लेने के चार सप्ताह के अन्दर ऐसे हित के अर्जन की लिखित सूचना राज्य सरकार को देगा तथा पद रिक्त कर देगा|" धारा 68(2) के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि प्रतिपक्षी संख्या-7 श्री अरविन्द कुमार दुबे एवं प्रतिपक्षी संख्या-8 श्री प्रीतम सिंह यादव क्रमशः जगम्मनपुर से राठ वाया बंगरा, जालौन, उरई एवं उरई से नदीगांव वाया कोंच के परमिट धारक है एवं अपनी बसों का उपरोक्त मार्गों पर सञ्चालन कर रहे है। अतएव वे व्यक्तिगत हित एवं वित्तीय हित का अर्जन कर रहे है इसलिए उन्हें उक्त पद को स्वयं छोड़ देने चाहिये या तो श्रीमानजी द्वारा तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाना चाहिए।

श्री अजीत सिंह द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकरण तथा प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के गठन से सम्बंधित मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 68(2) के प्राविधानों का उल्लेख करते हुए यह भी अवगत कराया गया है कि उनके मार्गों पर पूर्व से ही अनेकों परमिट स्वीकृत हैं एवं मार्ग भी मात्र 66 कि0मी0 का है । अब उदारवादी नीति के तहत अन्य नवीन परमिटों को उक्त मार्ग पर स्वीकृत करने की आवश्यकता नहीं है। समय-समय पर मा0 उच्चतम न्यायालय ने उदारवादी नीति के तहत नीतिगत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं कि मार्ग को रेसिंग ग्राउण्ड नहीं बनाया जा सकता है।"

3- उक्त तथ्यों से अवगत कराते हुए श्री अजीत सिंह द्वारा प्रश्नगत प्रत्यावेदन दिनांक 26.08.2025 में निम्नवत प्रार्थना की गई है:-

"उपरोक्त याचिका में पारित निर्णय दिनांक 19.08.2025 के परिप्रेक्ष्य एवं अनुपालन में जिलाधिकारी, जालौन उरई को जिला परिवहन समिति में प्राइवेट नामित सदस्य श्री अरविन्द कुमार दुबे एवं श्री प्रीतम सिंह यादव को तत्काल प्रभाव से हटाये । अग्रेतर यह भी प्रार्थना की गई है कि चाहे जिला परिवहन समिति की बैठक हो या संभागीय परिवहन प्राधिकरण, झांसी की बैठक हो, प्रार्थी एवं अन्य विद्यमान परमिट धारकों को मीटिंग के एक-दो दिन पूर्व सूचित किया जाय एवं एजेण्डे की कापी मीटिंग के एक-दो दिन पूर्व प्रदान किया जाय, जिससे वे अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकें।"

4- श्री अजीत सिंह के उक्त प्रत्यावेदन के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या-रिट 252/तीस-4-2025, दिनांक 29.08.2025 द्वारा परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश को अपनी आख्या एवं संस्तुति शासन को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। तत्क्रम में सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण के पत्र संख्या-1630/एसटीएस/2025, दिनांक 10.11.2025 द्वारा प्रकरण में संभागीय परिवहन प्राधिकरण, झांसी की परिचालन के माध्यम से की गयी बैठक दिनांक 09.09.2025 में लिए गए निम्नवत निर्णय से अवगत कराया गया है : –

"प्राधिकरण द्वारा परिचालन के (Via Circulation) माध्यम से रिट के याचिकाकर्ताओं के प्रत्यावेदन दिनांक 03.06.2025 तथा 27.08.2025 एवं मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के सम्बन्धित आदेश दिनांक 19.08.2025 का अवलोकन किया गया एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 के सम्बन्धित प्राविधानों पर विस्तृत विचार किया गया। अतः प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संभागीय परिवहन प्राधिकरण, झांसी की बैठक दिनांक 03.08.2005 के संकल्प-09 द्वारा सृजित जिला परिवहन समिति को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाता है एवं सचिव, संभागीय परिवहन प्राधिकरण, झांसी को निर्देशित किया जाता है कि नवीन स्थायी सवारी गाड़ी के परमिटों के आवेदनों एवं समय सारिणी परिवर्तन, मार्ग वृद्धि / कटौती के आवेदनों के प्रकरण में सम्बन्धित जनपद के परिवहन अधिकारियों से वाहन के यांत्रिक स्थिति, रंग-रोगन, सीट, मार्ग की स्थिति एवं प्रस्तावित समय सारिणी से सम्बन्धित आख्या एवं आपत्तियां प्राप्त कर परीक्षणोपरान्त निर्णय हेतु आगामी प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत करेंगे।"

5- प्रकरण में जिलाधिकारी, जालौन के पत्र संख्या-281/ओ0एस0डी0, दिनांक 10.09.2025 द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत रिट याचिका में प्रतिवादी संख्या-7 एवं 8 क्रमश: श्री अरविन्द कुमार पुत्र श्री लखन लाल एवं श्री प्रीतम सिंह पुत्र श्री अमर सिंह उनके समक्ष दिनांक 10.09.2025 को पूर्वान्ह 11:00 बजे उपस्थित होकर पृथक-पृथक मयशपथ-पत्र, प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए स्वयं को जिला परिवहन समिति की सदस्यता से मुक्त करने का अनुरोध किया गया।

6- श्री अजीत सिंह के प्रश्नगत प्रत्यावेदन दिनांक 26.08.2025 के निस्तारण हेतु दिनांक 11.09.2025 को मध्यान्ह 12:00 बजे अधोहस्ताक्षरी द्वारा सुनवाई हेतु निर्धारित बैठक में प्रश्नगत रिट याचिका के प्रतिवादी संख्या-7 (श्री अरविन्द कुमार पुत्र श्री लखन लाल) एवं प्रतिवादी संख्या- 8 (श्री प्रीतम सिंह पुत्र श्री अमर सिंह) सहित समस्त अन्य सम्बंधित को सुनवाई हेतु प्रतिभाग करने के लिए आमंत्रित किया गया तथा उन्हें बैठक की सूचना (नोटिस) भी तामील करायी गई। बैठक में सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, लखनऊ एवं संभागीय परिवहन अधिकारी, झांसी तथा याची श्री अजीत सिंह द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक में संभागीय परिवहन अधिकारी, झांसी द्वारा अपने पत्र दिनांक 11.09.2025 के माध्यम से आश्वस्त किया गया कि प्रश्नगत बैठक में याचिकाकर्ताओं के साथ बनी सहमति के अनुसार जिला परिवहन प्राधिकरण की बैठक की सूचना बैठक से 07 दिन पूर्व समाचार पत्रों एवं कार्यालय के सूचना पट पर प्रकाशित/प्रदर्शित की जायेगी एवं बैठक से 03 दिन पूर्व बैठक के एजेण्डा बिन्दु की सूची संभागीय परिवहन कार्यालय एवं सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय के सूचना पट पर प्रदर्शित की जायेगी। तत्क्रम में श्री अजीत सिंह द्वारा अपने पत्र दिनांक 11.09.2025 के माध्यम

से यह अवगत कराया गया है कि प्रकरण में उनके द्वारा किये गये समस्त अनुरोध की पूर्ति कर ली गयी है। अत: प्रकरण निस्तारित किये जाने में अब उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

7- उक्त से विदित होता है कि संभागीय परिवहन अधिकारी, झाँसी के निर्णय दिनांक 09.09.2025 के द्वारा उनकी पूर्व बैठक दिनांक 03.08.2005 के संकल्प-9 द्वारा सृजित जिला परिवहन समिति को भंग कर दिया गया है। इस प्रकार श्री अरविन्द कुमार एवं श्री प्रीतम सिंह की सदस्यता स्वतः समाप्त हो गई है। इसके अतिरिक्त संभागीय परिवहन अधिकारी, झाँसी द्वारा अपने पत्र दिनांक 11.09.2025 के माध्यम से याचिकाकर्ताओं के साथ बनी सहमति के अनुसार जिला परिवहन प्राधिकरण की बैठक की सूचना बैठक से 07 दिन पूर्व समाचार पत्रों एवं कार्यालय के सूचना पट पर प्रकाशित/प्रदर्शित करने एवं बैठक से 03 दिन पूर्व बैठक के एजेण्डा बिन्दु की सूची संभागीय परिवहन कार्यालय एवं सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय के सूचना पट पर प्रदर्शित किये जाने का आश्वासन दिया गया है। इस प्रकार, मा० न्यायालय के आदेश दिनांक 19.08.2025 के अनुपालन के क्रम में याची श्री अजीत सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 26.08.2025 का उपरोक्तानुसार निस्तारित किये जाने हेतु की गई कार्यवाही एवं इस सम्बन्ध में याची श्री अजीत सिंह द्वारा दी गई लिखित अनापत्ति के फलस्वरूप प्रकरण में मा0 न्यायालय के प्रश्नगत आदेश दिनांक 19.08.2025 के अनुपालन में श्री अजीत सिंह के प्रत्यावेदन का सम्यक निस्तारण हो गया है।

अतः तदनुसार श्री अजीत सिंह का प्रश्नगत प्रत्यावेदन दिनांक 26.08.2025 निस्तारित किया जाता है।

अमित गुप्ता
प्रमुख सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव:-</u>

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. जिलाधिकारी, जालौन।
4. सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, लखनऊ।
5. संभागीय परिवहन अधिकारी, झांसी।
6. श्री अजीत सिंह पुत्र श्री बीर बहादुर सिंह, निवासी-रामपुरा, जालौन, उत्तर प्रदेश।
7. श्री अरविन्द कुमार पुत्र श्री लखन लाल, निवासी- 362, बांगरा, जनपद जालौन(प्रतिवादी सं0-7)
8. श्री प्रीतम सिंह पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी- अंडा-कोंच गांव, जनपद जालौन (प्रतिवादी सं0-8)
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

के0पी0 सिंह
विशेष सचिव

http://upsamadesh.up.gov.in